

# समाज कल्याण विभाग

## उत्तर प्रदेश शासन

अनु०जाति/जन जाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के इलाज के लिये  
तथा उनकी एक पुत्री की शादी वित्तीय सहायता नियमावली 1982 के अधीन  
(वित्तीय सहायता) का आवेदन—पत्र

1. आवेदक का नाम.....	आवेदक की प्रमाणित फोटो
2. पिता / पति का नाम.....	
3. जाति.....	
4. स्थाई पता.....	
5. डाकघर.....	लड़की की फोटो
6. पुत्री की आयु.....	
7. वार्षिक आय (सभी स्रोतों से)	
8. रोग के ग्रस्त होने तथा अतिरिक्त धनराशि जितनी इलाज हेतु आवश्यकता है.....	
9. परिवार के आश्रितों की संख्या.....	
10. शादी की तिथि.....	
11. पुत्री का नाम..... वर का नाम..... वर के पिता का नाम	
12. वर का निवास स्थान / पता .....	
13. बैंक का नाम शाखा सहित.....	
14. बैंक खाता संख्या.....	
15. दूरभाष संख्या यदि कोई हो:-	बैंक खाता संख्या..... बैंक का नाम..... छायाप्रति संलग्न करें..... शाखा .....

दिनांक: .....  
स्थान: लखनऊ

आवेदक के हस्ताक्षर /  
निशानी अंगूठा

### नोट:—

- क्रमशः 3,4,6,7,8,9,10 के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।  
प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।
- पति के जीवित होने पर पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मान्य न होगा तथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।